6984/I 2024

लीज डीड 13 वर्ष

1– किस्म दस्तावेजः– लीज डीड

2– वास्ते मुद्दतः– 13 वर्ष से अनाधिक

3– किराया प्रतिमाहः– 5,000/–रूपये

4– वार्षिक किरायाः– 60,000/–रूपये जिसके 5 गुणा पर मालियत 3,00,000/–रूपये

5:– स्टाम्प शुल्कः– 6100/– रूपये

हम कि सुमित कुमार पुत्र श्री लाजपत राय व श्रीमती डिन्नी गुलियानी पत्नी श्री सुमित कुमार निवासीगण मकान नम्बर– 24, स्ट्रीट–4, लेन नम्बर– 6, विवेकानन्द ग्राम फेज–2, लोवर नत्थनपुर, हरिद्वार रोड देहरादून जिला देहरादून, उत्तराखण्ड़ (पैन व आधार कार्ड नम्बरः– AHUPK8487C & 7667 4805 4962 & AONPG2752C & 5918 1188 9087)– प्रथमपक्ष/सम्पत्ति मालिक व मैसर्स लैबोजन फार्मा द्वारा प्रोपराईटर सुमित कुमार पुत्र श्री लाजपत राय निवासीगण मकान नम्बर– 24, स्ट्रीट–4, लेन नम्बर– 6, विवेकानन्द ग्राम फेज–2, लोवर नत्थनपुर, हरिद्वार रोड देहरादून जिला देहरादून, उत्तराखण्ड़ (आधार कार्ड नम्बर– AHUPK8487C & 7667 4805 4962) –द्वितीय पक्ष किरायेदार के है।

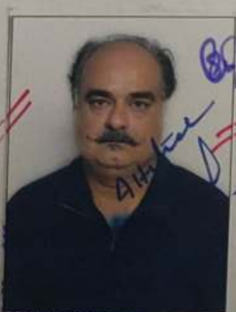

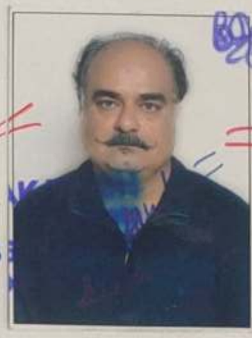

VALUATION REPORT

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttarakhand

e-Stamp

सत्यमेव जयते

Certificate No.	:	IN-UK58457216764755T
Certificate Issued Date	:	09-Dec-2021 10:33 AM
Account Reference	:	NONACC (SV)/ uk1227804/ ROORKEE/ UK-HD
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UKUK122780420869346489376T
Purchased by	:	SUMIT KUMAR AND DINNY GULIYANI
Description of Document	:	Article 35 Lease
Property Description	:	SISONA MUSTAHAKAM PARGANA AND TEHSIL BHAGWANPUR DISTT HARIDWAR
Consideration Price (Rs.)	:	0 (Zero)
First Party	:	SUMIT KUMAR AND DINNY GULIYANI
Second Party	:	MS LEBOJAN PHARMA BY PROPRITER SUMIT KUMAR
Stamp Duty Paid By	:	SUMIT KUMAR AND DINNY GULIYANI
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	6,100 (Six Thousand One Hundred only)

VERIFIED

LOCKED

Please write or type below this line

2

विदित हो कि निम्नलिखित सम्पत्ति का प्रथम पक्ष एक मात्र स्वामी मालिक काबिज व

QT 0003369707

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

अधिकारी है। निम्नलिखित औद्योगिक सम्पत्ति न्यायालय/कार्यालय कलेक्टर महोदय हरिद्वार के प्रा0प0संख्या–64/2021 अन्तर्गत धारा 154(4) (3) (क) ज0वि0 एंव भूमि व्यवस्था अधिनियम सुमित कुमार आदि बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 16/11/2021 के द्वारा प्रार्थी के ऑनलाईन आवेदन संख्या– 154/HOR.HOR/421921 को स्वीकृत कर अनुमति प्रदान की गयी है। है। अतः प्रथम पक्ष ने अपनी निम्नलिखित सम्पत्ति को दिनांक 15–12–2021 ई0 से 13 वर्ष के लिये अर्थात दिनांक 15–12–2034 तक के लिये **मुबलिग 5000/–पांच हजार रूपये** प्रति माह अर्थात **60,000/–साठ हजार रूपये** सालाना लीज पर दे दी है और द्वितीय पक्ष ने निम्नलिखित सम्पत्ति को औद्योगिक प्रयोजन के लिए लीज पर ले ली है तथा इस लीज की बाबत दोनो पक्षो मे निम्नलिखित शरायते तय पायी गयी है जिनके दोनो पक्ष व उनके वारसान पूर्ण रूप से जिम्मेदार रहेगे।

1– यह कि द्वितीय पक्ष किरायेदार प्रथम पक्ष/मालिक को **अंकन 5,000/–पांच हजार रूपये** प्रतिमाह अर्थात **60,000/–साठ हजार रूपये** सालाना अदा करता रहेगा जो चैक या आर0टी0जी0एस0 या एन0ई0एफ0टी0 या बैंक ड्राफ्ट या पेय ऑर्डर द्वारा दिया जायेगा और प्रथम पक्ष वसूल पाने का अधिकारी होगा।

2– यह कि निम्नलिखित सम्पत्ति की लीज **दिनांक 09–12–2021** से आरम्भ हो चुकी है जो **दिनांक 09–12–2034** तक प्रभावी रहेगी।

3– यह कि द्वितीय पक्ष निम्नलिखित सम्पत्ति पर यदि अपने खर्चे से अतिरिक्त या अल्ट्रेशन आवश्यकतानुसार करना चाहेगा तो प्रथम पक्ष सम्पत्ति मालिक की पूर्ण सहमति लेकर सम्पत्ति की सुरक्षा को ध्यान रखते हुए करेगा।

4– यह कि निम्नलिखित सम्पत्ति पर किये जाने वाले औद्योगिक कार्य से सम्बन्धित किसी सरकारी या गैर सरकारी बैंक, कम्पनी, सोसायटी या संस्था से ऋण लेने का पूर्ण अधिकार होगा और उसे अदा करने की जिम्मेदारी भी द्वितीय पक्ष की होगी।

5– यह कि निम्नलिखित सम्पत्ति व उसमे होने वाले औद्योगिक कार्य से सम्बन्धित सभी प्रकार के टैक्सो व पानी व बिजली के बिलो के भुगतान को अदा करने की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी।

6– यह कि द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा कि वह निम्नलिखित सम्पत्ति पर अपने नाम से एक या अधिक विद्युत कनेक्शन लेवे जिसमे प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति नही होगी तथा उनके बिलो का भुगतान भी द्वितीय पक्ष ही अदा करेगा।

7– यह कि उक्त लीज की अवधि का समय समाप्त होने के बाद उस समय के किराये मे आपसी सहमति से किराया बढाकर उपरोक्त लीज को आगे बढाया जा सकेगा।

8– यह कि द्वितीय पक्ष निम्नलिखित सम्पत्ति को केवल औद्योगिक प्रयोजन के प्रयोग मे लायेगा तथा औद्योगिक प्रयोजन के अलावा कोई अन्य कार्य नही करेगा।

9– यह कि द्वितीय पक्ष निम्नलिखित सम्पत्ति के किसी को शिकमी किराये पर देने का अधिकार नही होगा।

10– यह कि द्वितीय पक्ष निम्नलिखित सम्पत्ति मे कोई गैर कानूनी कार्य नही करेगा और न ही कोई ऐसा कार्य करेगा जिससे निम्नलिखित सम्पत्ति की हैसियत कम हो जाये।

11– यह कि यदि निम्नलिखित सम्पत्ति मे औद्योगिक कार्य चलते समय किसी प्रकार की कोई दुर्घटना होती है उसकी पूर्ण जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी।

~~12– यह कि दोनो पक्ष आपसी सहमति से उक्त लीज की शर्तो को एडजस्ट कर सकते है।~~

13– यह कि निम्नलिखित सम्पत्ति की **उक्त खसरा नम्बर–245म में से रकबई 0.150 है0 की धारा 143 ज0वि0 अधिनियम के अन्तर्गत न्यायालय उप जिलाधिकारी/सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी रूडकी के वाद संख्या– 138/2006–07 में पारित आदेश दिनांक– 19–06–2007 को व रकबई 0.055 है0 की न्यायालय उप जिलाधिकारी/सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी भगवानपुर के वाद संख्या– 02/2021–22** यतीन गम्भीर बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक **02/12/2021 को औद्योगिक प्रयोजन हेतु अकृषिक भूमि घोषित है।**

अतः यह लीज डीड वास्ते मुददत 13 वर्ष से अनाधिक दोनो पक्षो ने अपनी मनबुद्धि व इन्द्रियो की स्वस्थ दशा मे खूब सोच समझकर बिना किसी जोर दबाव के स्वतन्त्र सहमति से स्वेच्छापूर्वक लिख दी है कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे।

विवरण सम्पत्ति

एक किता औद्योगिक सम्पत्ति संक्रमणीय भूमिधरी पुराना खाता संख्या– 117 नया खाता संख्या– 169 के खसरा नम्बर– 245म कुल रकबई 0.2050 हैक्टेयर यानि 2050 वर्गमीटर भूमि, जिसके भीतर 11000 वर्गफुट अर्थात 1022.30 वर्गमीटर में औद्योगिक निर्माण किया गया है जो कि आर0सी0सी0 निर्माण है, शेष खुला सहन है, उक्त कुल औद्योगिक सम्पत्ति के हदूद पूरब में रास्ता 18 फुट चौडा वास्ते आमोदरफत व हक्के इस्तेमाल व पश्चिम में सम्पत्ति बाबू व सचिन जोशी व उत्तर में सम्पत्ति सुलेमान व दक्षिण में सम्पत्ति विष्णु शर्मा है, **स्थित ग्राम सिसौना मुस्तहकम परगना व तहसील भगवानपुर जिला हरिद्वार,** जो प्रथम पक्ष ने द्वारा विक्रय पत्र लिखित तिथि 09/12/2021 को **मैसर्स ऐस्टीम फार्मास्यूटिकल्स द्वारा प्रोपराईटर श्री यतिन गम्भीर पुत्र श्री कमल किशोर गम्भीर निवासी 33, वेस्ट शिवाजी नगर, शाहगंज, आगरा, जिला आगरा, उत्तर प्रदेश** से क्रय की थी जिसकी रजिस्टरी बही नम्बर–1 दस्तावेज नम्बर– 6983 पर दिनांक– 09/12/2021 को कार्यालय उप निबन्धक रूडकी तृतीय (कार्यालय भगवानपुर) में रजिस्टरी हुई है जिसका प्रथम पक्ष एक मात्र स्वामी व अधिकारी है।

रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा– 32ए के अनुपालन हेतु फिंगर प्रिंटस

प्रथम पक्ष के बाये हाथ की अंगुलियो के चिन्ह

अंगुष्ठ तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठिका

दाये हाथ की अंगुलियो के चिन्ह

अंगुष्ठ तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठिका

उत्तराखण्ड शासन

Online Public Data Entry Summary

UKPDE2021075225873

DISTRICT NAME :हरिद्वार SRO :

UKPDE2021075225873 9-Dec-2021 11:42:48

Appointment Date: .... Appointment Time: .... Appointment TokenNo: ....

Amit@1234

Deed/Article Type :Lease

Sub-Deed/Sub-Article :Lease(Not Exceeding 30 years)

Village/Location For Index :सिसौना मुस्तहकम

Village/Location/Road Selected for Circle RateList :सिसौना मुस्तहकम

Khewat : Khatoni :

Khasra :245म

House/Flat No:

Area :2,050.0000 वर्ग मीटर Longitude 0.0000000000

Latitude - Construction Value :0.00

Land Value :0.00 **Market Value :0.00**

Transaction Value :0.00 Avg. Rent :0.00

Advance :0.00 Lease Period :13.00

Stamp Duty :6100.00 **Regn Fees :1200.00**

Pasting Fees :100 Page :28

व्यवसायिक निर्माण का विवरण

क्र.सं	निर्माण का प्रकार	क्षेत्रफल

आवासीय निर्माण का विवरण

क्रं सं	निर्माण क्षेत्र	निर्माण का प्रकार	निर्माण तल	ह्रास वर्ष	रक्बा

निबंधक शुल्क का विवरण

क्र सं	भुगतान की विधि	धनराशि	संदर्भ क्रमांक
1	Cash	1200.00	0

स्टाम्प शुल्क का विवरण

क्र सं	भुगतान की विधि	धनराशि	संदर्भ क्रमांक	जारी दिनांक	स्टांप विक्रेता आईडी
1	e-Stamp	6100.00	0	9-Dec-2021	0

बही संख्या 1 जिल्द 2,349 के पृष्ठ 69 से 90 पर क्रमाक 6984

पर आज दिनांक 09 Dec 2021 को रजिस्ट्रीकरण किया गया।

रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी /
उप-निबंधक,रुड़की,तृतीय
09 Dec 2021

उप रजिस्ट्रार रूड़की-I जिला हरिद्वार
सत्यमेव जयते
उत्तराखण्ड